

## प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

**परियोजना विवरण :-** जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तारलम्बाई 10.00 कि०मी० मैपडनेवाली 4.981 है० वनभूमिकालो० नि० वि० कोहस्तान्तरण

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वर्णों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 कि०मी०

संलग्न है।

रु० 178.00 लाख

एक मात्र नजदीकी समरेखण है।

लागू नहीं

स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में ला पायेगा।

आपेक्षित वनभूमि	0.18 है०
राज्य वनभूमि	3.941 है०
वन पंचायत भूमि	0.86 है०
नापभूमि	4.091 है०
योग	4. 981 है०

2. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का

विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

नहीं

ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के

नहीं

परिवारों की संख्या

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

नहीं

3. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?

नहीं

(हाँ / नहीं)

4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके

अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक

वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य

सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के

अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र

आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता

(वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण

संलग्न है।

पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक ..... स्थान बेरीनाग

सहायक अधिकारी  
अरथाई खण्ड ल०० नि० वि०  
बेरीनाग(पिथौरागढ़)

प्रयोक्ता एजेन्सी का प्रमाण  
अरथाई खण्ड ल०० नि० वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

## प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में हलियाडोब लछिमाओखरानीनाचनीमोटर मार्ग काविस्तारलम्बाई 10.00 कि.मी। में पड़नेवाली 4.981 हेक्टेक्टरों को हस्तान्तरण

- |   |   |
|---|---|
| (i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र   | उत्तराखण्ड  |
| (ii) जिला   | पिथौरागढ़   |
| (iii) जिला वन प्रभाग  | पिथौरागढ़   |
| (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र  | 4.981 हेक्टेक्टर, संरक्षित, वनपेपापत.                                   |
| 17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:   | संलग्न है.  |
| 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:   | अनावरित, संरक्षित, वनपेपापत.  |
| (i) वन का प्रकार  | संलग्न है.  |
| (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व   | संलग्न है.  |
| (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना   | संलग्न है.  |
| (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा  | संलग्न है.  |
| 19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी   | मूरु उत्तराखण्ड की स्थानीय वनस्पति वन भूमि की लगभग दूरी: 15 km नहीं है. |
| 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी:   | संलग्न है.  |
| 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा:  | संलग्न है.  |
| (i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा:  | संलग्न है.  |
| (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)  | संलग्न है.  |
| (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)                     | संलग्न है.  |
| (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) | संलग्न है.  |
| (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे   | संलग्न है.  |

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) सेलगृह

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : सेलगृह

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य वनपूरात्मक

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नहीं

24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे : नहीं

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। सेलगृह

(ii) अवस्थिति, सर्वक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। सेलगृह

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। सेलगृह

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। सेलगृह

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : सेलगृह

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। सेलगृह

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। सेलगृह

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों सेलगृह.

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। सेलगृह.

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। स्पैटिक

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों स्थान: सिमटोल

तारीख: 1-3-2016

संक्षिप्त

हस्ताक्षर नाम

शासकीय मुद्रा

वनक्षेत्राधिकारी  
बेरीनाग 4

वनक्षेत्राधिकारी  
बेरीनाग वन अधिकारी  
सिपौरागढ़ वन अधिकारी